न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारीः– श्योराम वर्मा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या : 11/2019 दिनांक : 04-02-2020

1. ज्ञानाराम पुत्र लादूराम उम्र बालिग जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. पांचाराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. मनोज कुमार पुत्र बुधमल जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ....अप्रार्थीगण
4. नेमीचंद पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी ग्राम रेडा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..........गौण प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र एक्स में संशोधन बाबत</u>

निर्णय

उपस्थित 1. रघुवीर भांमू एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने मनोज कुमार पुत्र बुधमल जाति मेघवाल निवासी दूंकर से बरोही ग्राम ढिगारिया में सड़क नोखा सीकर पर खसरा संख्या 516/502 तादादी 2 बीघा मेसे भूमि तादादी 4585.90 वर्गमीटर औधोगिक प्रयोजनार्थ संवरिवर्तन आदेश कमांक राजस्व/2013/434–36 दिनांक 18/9/2013 जारीकर्ता उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ व पंजिकृत दिनांक 21/10/2013 को उप पंजियक बीदासर के द्वारा जारी स्थित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थी ने नोखा सीकर के दक्षिणी ओर 134 फुट भूमि छोड़ कर कटानी रास्ता ढिगारिया के पूर्वी ओर 86 फुट गुणा 574 फुट कुल 49,364 वर्गफुट खरीद की थी। प्रार्थी ने पटवारी हल्का को विकय पत्र की प्रति देकर रिकॉर्ड में अपने नाम करवाने हेतु दी थी। पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खेत खसरा संख्या 614/516 तादादी 0.4552 हेक्टेयर गै0मु0 औधोगिक प्रार्थी व गौण [illegible] 1/2, 1/2 की खातेदारी दर्ज की, शेष भूमि नोखा से सीकर [illegible] 134x86 [illegible] भूमि मनोज कुमार ने अपने पास रखी जो खसरा संख्या 615/516 तादादी 0.0506 [illegible] की खातेदारी अंकित [illegible] लेकिन पटवारी हल्का ने एक्स मे तरमीम करते वक्त गलती [illegible] सड़क नोखा सीकर के [illegible] ओर मनोज कुमार की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 615/516 अंकित नहीं कर खसरा संख्या 516/502 अंकित कर दिया तथा प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की भूमि एक्स में खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

614/516 तादादी 0.4552 हेक्टेयर अंकित नहीं कर खसरा संख्या 517/502 अंकित कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वह राजस्व एक्सा में संशोधन करवाकर खसरा संख्या 517/502 के स्थान पर खसरा संख्या 614/516 अंकित करवाये। जिसके लिए प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 स्वयं ने उपस्थित होकर ईकबाल जवाब पेश किया व प्रार्थी के प्रर्थना पत्र का सर्मथन किया व अप्रार्थी संख्या 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई व प्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 9/7/2019 को राजहित निहित नहीं होना अंकित होकर अपना जवाब पेश किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी वकिल ने अपने प्रार्थना पत्र के सर्मथन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व गौण प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खसरा संख्या 614/516 तादादी 0.4552 हेक्टेयर गै0मु0 औधोगिक अप्रार्थी मनोज कुमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। जिसका पटवारी हल्का को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित करने हेतु विक्रय पत्र दिया तो पटवारी हल्का ने खातेदारी अंकित कर दी लेकिन नक्शा एक्स में तरमीम सही नही की। पटवारी हल्का ने जहां प्रार्थी की भूमि क्रय की वहा पर अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि दर्शा दी जो सही नही है। प्रार्थी ने अपनी क्रय भूमि मुताबिक औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/2013/434-36 दिनाक 18/9/2013 जारीकर्ता उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ क्रय की थी, जो सड़क नोखा सीकर के दक्षिणी ओर की 134x86 फुट छोड़कर प्रार्थी की 574 फुट उतर से दक्षिण लम्बी व 86 फुट पश्चिम से पूर्व चौड़ाई की क्रय की थी। एक्स में इसी अनुसार संशोधन चाहा गया है जो किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस वकिल प्रार्थी की सुनी गई प्रार्थी रोही ढिंगारिया के खसरा संख्या 614/516 तादादी 0.4552 हेक्टेयर गै0मु0 औधोगिक के खातेदार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के एक्स में तरमीम करते वक्त सही नहीं कर खसरा संख्या 517/502 तादादी 1.9349 हेक्टेयर अप्रार्थी पांचाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि पांचाराम का खातेदारी खेत प्रार्थी व गौण अप्रार्थी नेमीचंद के पूर्वी तरफ की खातेदारी का खेत है। जो पटवारी हल्का ने खातेदारी में दर्ज करते वक्त एक्स में तरमीम सही नहीं की प्रार्थी की क्रय शुदा भूमि सड़क नोखा सीकर के दक्षिणी तरफ 134 फुट छोड़कर 574 फुट लम्बा व 86 फुट चौड़ा जिसके पश्चिमी तरफ रास्ता कटानी ग्राम ढिंगारिया व पूर्वी तरफ वर्तमान खातेदार पांचाराम व दक्षिणी तरफ ताल का है। इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की [illegible] कर एक्स में संशोधन किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

आदेश

प्रार्थी ज्ञानाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 नेमीचन्द के द्वारा खरीद शुदा भूमि रोही ढिगारिया के खसरा संख्या 614/516 तादादी 0.4552 हेक्टेयर गै0मु0 औधोगिक के वर्तमान नक्शा एक्स को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि सड़क नोखा सीकर के दक्षिणी तरफ 134 फुट लम्बा व 86 चौड़ाई छोड़कर प्रार्थी की 574 फुट लम्बा उतर दक्षिण व 86 फुट चौडा पश्चिम से पूर्व की, जिसके पश्चिमी ओर कटानी रास्ता ढिगारिया, पूर्वी तरफ पांचाराम का खेत, दक्षिणी तरफ ताल व उतर की तरफ मनोज कुमार के खातेदारी के खेत अंकित करते हुए वर्तमान नक्शा एक्स में संशोधन किया जावे। अप्रार्थी पाचाराम की भूमि सड़क के दक्षिण तरफ व प्रार्थी के पूर्वी तरफ नक्शा एक्स मे दर्ज करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को अलग से लिखा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:57:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner